प्रेसनोट

पिथौरागढ़–14.10.13(सूवि),

जिला मजिस्ट्रेट डा.नीरज खैरवाल ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के हवाले से सूचित किया है कि 23 नवम्बर को जनपद के सभी न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों/तहसीलों, राजस्व न्यायालयों, सभी श्रम न्यायालयों, सभी राज्य स्तरीय प्राधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

उन्होंने कहा है कि 23 नवम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालतों में फौजदारी, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक/पारिवारिक, श्रम, भूमि अर्जन, दीवानी, राजस्व, मनरेगा, विद्युत एवं जलकर बिल, बिक्रीकर, आयकर, अप्रत्यक्षकर, वेतन व भत्तों से संबंधित सेवाओं के मामले, वन सम्बन्धी मामले, छावनी बोर्ड के मामले, आपदा प्रतिकर/क्षतिपूर्ति के मामले, रेलवे दावों के मामले, विधिक अपील/आपराधिक अपील, व्यवहारिक (सिविल) अपील, द्वितीय अपील, मूल वाद, याचिकायें, एस.ए.सी.टी. अपील एवं अन्य ऐसे मामलों का निस्तारण जो सुलह–समझौते के आधार पर हो सकें, का निस्तरण किया जायेगा।

उन्होंने सर्वसाधारण से आग्रह किया है जो भी व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हों वह किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र देकर अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामलों को 21 नवम्बर तक नियत करा सकता है।

पिथौरागढ़–14.10.13(सूवि),

जनपद में प्रभागीय वनाधिकारी के पद पर तैनात एके उपाध्याय के जनपद से बाहर स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप नये प्रभागीय वनाधिकारी डा.इन्दर पाल सिंह ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

पिथौरागढ़–14.10.13(सूवि),

जिला पंचायत पिथौरागढ़ का कार्यकाल 14 अक्टूबर 2013 को समाप्त होने के फलस्वरूप शासन की अधिसूचना में दी गई व्यवस्था के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ डा.नीरज खैरवाल ने जिला पंचायत पिथौरागढ़ के प्रशासक का कार्यभार आज ग्रहण कर लिया है।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।